न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 40/24 GCMS NO 2024/87

1. मदन पुत्र फूलु जाटव निवासी आखापाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. सुगरबाई पुत्री फुलु पत्नि भूर सिह जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी कोटरी तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. शुक्ला पुत्री फुलु पत्नि हरि जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी मोहचा तहसील वजीरपुर
4. सुरेश
5. महेश
6. गुरूचरण
7. जलसिह
8. विकय पिसरान रामस्वरूप जाटव निवासी आखापाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
9. सोमा पुत्री रामस्वरूप पत्नि सियाराम जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी आर्गिर्री तहसील करौली
10. रूपबाई पुत्री रामस्वरूप पत्नि हरि जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी आर्गिर्री तहसील करौली
11. निरी पुत्री रामस्वरूप पत्नि ओमी जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी आर्गिर्री तहसील करौली
12. राममहेशी पुत्री रामस्वरूप पत्नि सीताराम जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी माचडी तहसील टोडाभीम जिला करौली
13. रामबाबू
14. बबलू पिसरान रामफल जाटव निवासी आखापाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
15. रमेशी पुत्री रामफल पत्नि रामोतार जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी चंदीला तहसील हिण्डौन जिला करौली
16. पुष्पा पुत्री रामफल पत्नि रामोतार जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी चंदीला तहसील हिण्डौन जिला करौली
17. बृजमोहन पुत्र मूलचंद जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी सिकन्दरपुर फाजिलाबाद तहसील हिण्डौन जिला करौली
18. सेनबाई पुत्री मूलचंद पत्नि महादेवा जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी सिकन्दरपुर फाजिलाबाद तहसील हिण्डौन जिला करौली
19. माया पुत्री मूलचंद पत्नि मोती जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
20. प्रेमपति पुत्री मूलचंद पत्नि विजेन्द्र जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
21. रूकमणी पुत्री मूलचंद पत्नि राजेश जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी बमनपुरा तहसील सूरौठ जिला करौली
22. रामदेई पुत्री मूलचंद पत्नि राजेश जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी बमनपुरा तहसील सूरोठ जिला करौली
23. प्रकाश
24. अशोक पिसरान झण्डे जाटव नि[illegible] करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

25. सुगन बाई पुत्री सामन्ता पत्नि रामचरण जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी मोहचा तहसील वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर
26. सुफेदी पुत्री सामन्ता पत्नि प्रकाश जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी आर्गिर्री तहसील करौली जिला करौली
27. हरकेश पुत्र नत्थी जाटव
28. मोनू पुत्र नत्थी जाटव
29. आकाश पुत्र नत्थी जाटव
30. माया पत्नि नत्थी जाटव
31. पिंकी पुत्री नत्थी पत्नि रामबाबू जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी घोसला तहसील हिण्डौन जिला करौली
32. हेमा पुत्र नत्थी पत्नि शिवराज जाटव निवासी आखापाडा हाल निवासी घोसला तहसील हिण्डौन जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रंगलाल पुत्र कंचन मीना
2. शिवराम पुत्र परसादी मीना
3. उदयचंद पुत्र परसादी मीना
4. धनसिह पुत्र सुआलाल मीना
5. कुलदीप पुत्र सुआलाल मीना
6. सतीश पुत्र सुआलाल मीना
7. उमेश पुत्र शिवराम मीना
8. मनीराम पुत्र उदयचंद मीना
9. सुनील पुत्र उदयचंद मीना
10. मोनू पुत्र उदयचंद मीना समस्त निवासी आखापाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
11. धनफूल पुत्र मूलचंद जाटव निवासी आखापाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बालघाट जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 21/24 निर्णय दिनांक 08.7.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री एस.एस.गुप्ता
अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्याम मोहन शर्मा

दिनांक 12.8.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से [illegible] निर्णय दिनांक 08.7.24 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन सहायक कलेक्टर टो[illegible] की है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपीलाटगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 4594/0.31,4594/5191/0.10, 4596/0.17, 4598/0.15, 4599/0.14, 4600/0.08 कुल किता 6 कुल रकबा 0.95 है0 मे सायल न0 1 ता 3 प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा, सायल न0 4 ता 12 प्रत्येक 1/54–1/54 हिस्सा सायल न0 13 ता 18 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा, सायल न0 17 ता 22 व गैरसायल न0 11 का प्रत्येक का 1/42–1/42 हिस्सा, सायल न0 23 ता 24 का प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा, सायल न0 25 ता 26 प्रत्येक का 1/18–1/18 हिस्सा सायल न0 27 ता 32 प्रत्येक का 1/108–1/108 हिस्सा है। उक्त आराजीयात साबिक ख0न0 2601 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। सायलान व गैरसायल संख्या 11 एक ही पूर्वज पांच्या पुत्र कल्याण जाटव की संतती है। जो सजरा खानदान से साबित है। उक्त आराजीयात साबिक रिकार्ड मे सायलान व गैरसायल न0 11 के पूर्वज पांच्या के कब्जे काश्त की आराजी रही है। जिसमे गैरसायल न0 1 ता 10 का कोई संबंध प्रकार का नही रहा है। जो जमाबंदी सम्वत 2035–38 से बखूबी साबित है। उक्त राजस्व रिकार्ड मे सायलान व गैरसायलान न0 11 के पूर्वज पांच्या की वास्तविक जाति चमार जाटव दर्ज रिकार्ड रही है। जिसे राजस्व कर्मचारीगण ने भूलवश से आगामी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2039–42 बनाते समय कालम मे सायलान व गैरसायलान न0 11 के पूर्वज पांच्या की जाति चमार के स्थान पर जाति मीना दर्ज कर दी जो बिलकुल गलत है। उक्त इन्द्राजात बाद सेटलमेंट वर्तमान राजस्व रिकार्ड तक बदस्तूर चले आ रहे है। जबकि वास्तव मे सायलान व गैरसायलान न 0 11 व उनके पूर्वज पांच्या पुत्र कल्याण की जाति चमार है। जो सायलान के दीगर दस्तावेजात से बखूबी साबित है। उक्त वर्णित आराजी सायला व गैरसायलान न0 11 के पूर्वज पांच्या के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी रही है, उक्त पांच्या के फौतगी के बाद आज दिन तक उक्त आराजीयात पर अपने अपने हिस्से अनुसार दर साल काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त आराजी सायलान व गैरसायलान न0 11 के उक्त पूर्वज पांच्या के जायज कायम मुकाम वारिसान होने से एवं फौतगी के बाद आज दिन तक मौके पर काबिज काश्त होने की घोषणा खातेदारी करा पाने के अधिकारी है। वर्णित आराजीयात पर सायलान व गैरसायलान न0 11 का लोग पजेशन एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर भी कब्जा प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। दिनांक 5.5.24 को सायलान अपनी आराजी पर साफ सफाई करने एवं उक्त आराजीयात पर बनी हुई झोपडियो की जगह पाटोर पोश का निर्माण कर रहे थे तो गैरसायलान मौके पर आये एवं कहा कि इस आराजीयात पर अब काश्त नही करने देगे यह आराजी हमारे परण की आराजी है इसलिए इस आराजी को हमे बेचान कर दो अन्यथ लठठ के जौर पर छीन लेगे एवं बेदखल कर देगे। सायलान के काफी समझाने के उपरान्त भी गैरसायलान नही माने। इस कारण गैरसायलान संख्या 1 ता 10 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त वर्णित आराजी मे सायलान के हिस्से अनुसार कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत मदालखत नही करे ना ही अन्य किसी से करावे शातिपूर्वक काश्त करने देवे ... सायलान को उनके हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आराजी से ना तो स्वयं बेदखल करे ना ही किसी अन्य से करावे एवं पाटोर पोश निर्माण करने से नही रोके। रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान/अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर विधिवत गौर नही फरमाया है। प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण अपीलांटस के पक्ष मे साबित होते हुए भी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया है। अपीलांट अनुसूचित जाति के गरीब काश्तकार पेश व्यक्ति होकर एक ही कुटुम्ब के है विवादित आराजी साबिक ख0न0 2601 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा के नवीन वर्तमान ख0न0 4594/0.31,4594/5191/0.10, 4596/0.17, 4598/0.15, 4599/0.14, 4600/0.08 कुल किता 6 कुल रकबा 0.95 है0 बने है जो कि वर्तमान मे दर्ज चले आ रहे है। उक्त आराजी साबिक ख0न0 2601 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा वाके ग्राम पहाडी तहत तहसील टोडाभीम शुरू से ही अपीलांटगण प्रार्थीगण के पूर्वज पॉच्या पुत्र कल्याण चमार की रिकार्डेड खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2035–2038 से बखूबी साबित है। लेकिन इसके बाद बिना किसी उचित आदेश के राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही एवं गलती व भूल के कारण इसके बाद राजस्व रिकार्ड मे पॉच्या पुत्र कल्याण चमार के स्थान पर पॉच्या पुत्र कल्याण मीना दर्ज कर दिया गया जो कि जमाबंदी सम्वत 2039–2042 व उसके बाद के रिकार्ड से बखूबी साबित होता है तथा इस कारण उसके बाद से जमाबंदी रिकार्ड मे उक्त साबिक आराजी एवं वर्तमान ख0न0 पॉच्या पुत्र कल्याण मीना के नाम दर्ज चले आ रहे है। जबकि उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो का व पॉच्या पुत्र कल्याण मीना का आज दिन तक किसी भी किस्म का कोई संबंध वास्ता नही रहा है और ना ही मौके पर कभी उनका कब्जा काश्त रहा है। बल्कि प्रार्थीगण अपीलांटस उक्त पॉच्या पुत्र कल्याण चमार के वारिसान होकर उक्त भूमि पर उसके समय से ही आज दिन तक काबिज होकर काश्त करते आये है उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के खाम घर भी बने हुए है जिनमे रहकर प्रार्थीगण खेती बाडी संभालते है एवं कृषि सामान व उपज रखते आये है। अपीलांटस पॉच्या पुत्र कल्याण चमार के जायज वारिसान है जो सजरा वंशावली से स्पष्ट है। अप्रार्थी/रेस्पो0 ने भूमि साबिक ख0न0 2601 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा को अपीलांटगण प्रार्थीगण के बुजुर्गान पॉच्या पुत्र कल्याण एवं फूलू पुत्र पॉच्या से अप्रार्थीगण के बुजुर्ग कं[illegible]वादी द्वारा 4800/–रूपये मे सन 1954 मे जरिये इकरारनामा कय करना बताया है तथा [illegible] इकरारनामा 5/–रूपये के स्टाम्प पर लिखा होना बताया है। जबकि [illegible] के बुजुर्ग [illegible] व फूलू चमा द्वारा उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

का कभी भी 4800/—रूपये मे रेस्पो0 के बुजुर्ग कंचन व परसादी को विक्रय नही किया था और ना ही 5/—रूपये के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखवाया था। उक्त कथित विक्रय इकरारनामा बिलकुल मिथ्या एवं फर्जी है साही यह एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा ऐसे अनरजिस्टर्ड दस्तावेज व बोगस दस्तावेज से रेस्पो0 के पूर्वज कंचन व परसादी को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ना ही कथित इकरारनामे के आधार पर कंचन व परसादी के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज हुई है। रेस्पो0 अप्रार्थीगण ने पॉच्या पुत्र कल्याण मीना को अपना पूर्वज नही बताया है बल्कि उक्त अवैध मिथ्या एंव फर्जी इकरारनामे के आधार पर भूमि पर अपना अधिकार होना बताया है जो कि कतई अवैध एवं माने जाने योग्य नही है। कानूनन 100/—रूपये से अधिक की अचल सम्पति का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कराये बिना मात्र इकरारनामे से क्रेता को कोई हक एवं अधिकार प्राप्त नही होते। रेस्पो0 ने उक्त मिथ्या एवं फर्जी इकरारनामे के आधार पर विक्रय पत्र पंजीयन कराने हेतु कोई वाद पत्र किसी भी सिविल न्यायालय मे कभी भी पेश नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मिथ्या एवं अवैध मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना आदेश पारित किया है जबकि दावे मे बयान होकर रिपोर्ट तैयारकर्ता के द्वारा उसे साबित नही कर दिया जावे तब तक उक्त रिपोर्ट का राजस्व रिकार्ड के सामने कोई महत्व नही है तथा ऐसी रिपोर्ट को राजस्व रिकार्ड से उपर नही माना जा सकता, साथ ही तथाकथित मौका रिपोर्ट दावे मे भी तलब नही की गई है। राजस्व रिकार्ड मे हुए गलत इन्द्राजाज की जानकारी अपीलांटगण को जब हुई जब रेस्पो/अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर जबरन कब्जे काश्त मे मजाहमत करने की धमकी देने एवं बेदखल करने की धमकी देने पर हुई। इसलिए दावा खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। जिसे अपीलांटगण द्वारा वैध आधारो पर टी आई प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अपीलांट का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर प्रार्थना पत्र विधि के विपरीत जाकर खारिज किया गया है। विवादित भूमि के गलत रूप से हो रहे इन्द्राजात की आड मे रेस्पो0 भूमि को रहन बय करने पर आमादा है तथा भूमि से अपीलांटगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए रेस्पो0 को विवादित आराजीयात के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजीयात ख0न0 4594/0.31,4594/5191/0.10, 4596/0.17, 4598/0.15, 4599/0.14, 4600/0.08 कुल किता 6 कुल रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम पहाडी तहसील टोडाभीम पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे कोई बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थीगण के उनमे निर्मित खाम घरो मे कोई तोड फोड व नुकसान नही करे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने [illegible] ख0न0 2601 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा से नवीन वर्तमान ख0न0 4594/[illegible] 45[illegible]/5191/0.10, 4596/0.17, 4598/0.15, 4599/0.14, 4600/0.08 कुल [illegible] है0 बने है। जिससे अपीलांट का किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है ना ही अपीलांट की कब्जे काश्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आराजी रही है और ना ही आज है। जबकि उक्त आराजी रेस्पो0 की कब्जे काश्त की आराजी है। अपीलांट द्वारा जो सजरा बताया गया है बह बिलकुल गलत बताया है। उक्त आराजी साबिक ख0न0 2601 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा को अपीलांट के बुजुर्ग पांच्या पुत्र कल्याण, फूलू पुत्र पांच्या ने 4800/–रूपये मे बेचान कर कब्जा रेस्पो0 के बुजुर्ग कंचन, परसादी को करा दिया था जो कि 5/–रूपये के स्टाम्प पर लिख दिया गया। उक्त आराजी पर खरीद के दिन से यानि 1954 से रेस्पो0 के बुजुर्गान काबिज थे तथा उनके मरने के बाद रेस्पो0 काबिज काश्त है। जब अपीलांटगण का बुजुर्गान के समय से ही कब्जा नही था तो अपीलांट एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा खातेदार कराने के अधिकारी नही है। कब्जे के अभाव मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही होने से ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से अपीलांट/सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। क्योकि विवादित आराजीयात सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ का भली भॉति विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार विवादित आराजीयात ख0न0 4594/0.31,4594/5191/0.10, 4596/0.17, 4598/0.15, 4599/0.14, 4600/0.08 कुल किता 6 कुल रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम आखापाडा तहसील टोडाभीम की खातेदारी पूर्व मे अपीलांटगण के पूर्वज पांच्या जाति चमार की खातेदारी भूमि थी तथा उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2039–41 बनाते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा गलत रूप से पांच्या की जाति चमार के स्थान पर जाति मीना दर्ज कर दी। जिसका राजस्व कर्मचारियो कोई अधिकार नही है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर रेस्पो0 द्वारा जबरन कब्जा करके भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा हो गये। इसलिए रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। जबाब मे रेस्पो0 अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट का उक्त कथन गलत एवं मनगढन्त है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त आराजी साबिक ख0न0 2601 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा को अपीलांट के बुजुर्ग पांच्या पुत्र कल्याण, फूलू पुत्र पांच्या ने 4800/–रूपये मे बेचान कर कब्जा रेस्पो0/गैरसायलान के बुजुर्ग कंचन, परसादी को करा दिया था जो कि 5/–रूपये के स्टाम्प पर लिख दिया जो सन 1954 मे बेचान किया गया है। उक्त बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का है एवं क्रय के समय से ही रेस्पो0 उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस प्रकार रेस्पो0 उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांटगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा किसी प्रकार की कोई राजस्व रिकार्ड मे हेरफेर नही किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076–79 मे विवादित आराजी पांच्या पुत्र कल्याण मीना के नाम दर्ज है जो रेस्पो0 बुजुर्ग है। इसी प्रकार पत्रावली मे उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 31.5.24 के अनुसार विवादित आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया जाना माना है। बयान मल्ला पुत्र भोला एवं सुकाराम पुत्र भोला द्वारा अपने बयानो मे भी विवादित आराजीयात पर कब्जा रेस्पो0 के पूर्वज कंचन, परसादी व उनके वारिसान का माना है। जमाबंदी सम्वत 2039–42 एवं 2043 से 2062 मे भूमि पांच्या पुत्र कल्याण जाति मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.5.24 को नजर अंदाज कर अपीलांट द्वारा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसे पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.5.24 मे माना है। विवादित आराजीयात की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे पांच्या पुत्र कल्याण मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदारो के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ का भली भॉति विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 21/24 मे पारित निर्णय दिनांक 8.7.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.8.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:23:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner